

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் (தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத்துறை அமைச்சகம், இந்திய அரசு) சுசுப்பி राज्य बीमा निगम (अम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



மண்டல அலுவலகம் (தமிழ்நாடு), பஞ்சதீப் பவன் 43, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை -34. क्षेत्रीय कार्यालय (तिमलनाडु), पंचदीप भवन , सं.143, स्टर्लिंग रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै - 600 034. REGIONAL OFFICE (TAMILNADU), Panchdeep Bhavan, 143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai-600 034. Phone: 28306300 (100 Lines): Fax: 28238559 E-mail: rd-tamilnadu@esic.nic.in

परिपत्र/Circular

विषय -विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में उपस्थिति के संबंध में।

Sub: Regarding the presence in the quarterly meetings of the Departmental Official Language

Implementation Committee.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में शाखाओं के शाखाधिकारियों एंव शाखाधीक्षकों तथा शाखा कार्यालयों के प्रबंधकों दवारा भाग लिया जाना अनिवार्य है।

On the above mentioned subject, it is informed that in pursuance of the guidelines issued time to time by the Headquarters and Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, it is mandatory for the Branch Officers and Branch Superintendents of the branches and the Managers of the Branch offices to participate in the meeting of the Departmental Official Language Implementation Committee.

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 06.11.2024 को आजोजित 118^{वीं} बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में शाखा के शाखाधिकारी एंव शाखा अधीक्षक तथा शाखा कार्यालयों के शाखा प्रबंधकों की अनुपस्थिति में बैठक में शाखा/शाखा कार्यालय के वरिष्ठतम कार्मिक को इस बैठक में प्रतिनिधि के रूप में अनिवार्य रूप से नामित करें।

In pursuance of the direction given by the Chairman in the 118th meeting of the Departmental Official Language Implementation Committee held on 06.11.2024, in the absence of the Branch Officer and Branch Superintendent of the Branch and the Branch Managers of the branch offices, the senior-most official of the Branch/Branch office must be nominated as a representative in this meeting.

(राजेश शर्मा/Rajesh Sharma) उप निदेशक (राजभाषा)/Deputy Director (OL)

सेवा में/To.

- 1. निजी सचिव, अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै को सूचनार्थ। Personal Secretary, AC-cum-RD, Regional Office, ESIC, Chennai for information.
- 2. सभी अधिकारी एवं शाखा अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै को सूचना एंव आवश्यक कार्रवाई हेत्।
 - All Officers and Office Suptt., Regional Office, ESIC, Chennai for information and necessary action.
- सभी शाखा प्रबंधक/प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, अधीनस्थ शाखा कार्यालय/डीसीबीओ, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै सूचना एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु।
 All BranchManager/IMO Incharge, Subordinate Branch Offices/DCBO, Regional Office, ESIC,
- 4. वेबसाइट प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। Website Manager, Regional Office, ESIC, Chennai to upload it on website.

Chennai fo information and necessary action.